Action Taken Report
In the matter of
Original Application No. 559 of 2019
In compliance of order dated 05-08-2019
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi

UTTARAKHAND

UEPPCB

Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
Gaura Devi Parayavaran Bhawan
46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

Scanned by CamScanner

Action Taken Report
In the matter of
Original Application No. 559 of 2019

Sarvesh Dangwal (Applicant)

Vs

State of Uttarakhand (Respondent)

Hon'ble National Green Tribunal, in the matter original application No. 559/2019 dated 05-08-2019 has passed the following direction:-

"Grievance in this letter, which has been treated as an application is against illegal extraction of groundwater by Arborea Luxury Homes, Tarla Nagal, Kulhan Dehradun without requisite permission for swimming pool and 96 apartments.

Let the Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month. "

In compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, the inspection is carried out by the official of Regional Office, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun on dated 19-11-2019, The inspection report is enclosed as **Annexure-01**

According to the inspection report:-

1. The Arboria Luxury Home, Dehradun was commissioned in year 2013, which is of 96 flats all are occupied by the residents.
2. The society is utilizing two bore well of capacity 7.5 HP and 5.0 HP respectively and society has not obtained permission from the Central Ground Water Board. The matter has been referred to CGWB, Dehradun for necessary action.
3. The complaint case against the unit M/s Arboria Luxury Home, Tarla Nagal, Kulhan, Dehradun is under trial in the court of Sub Divisional Magistrate, Dehradun copy enclosed.

....

Scanned by CamScanner

ANNEXURE- 01

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या–559/2019 श्री सर्वेश डंगवाल, अरबोरिया लग्जरी होम्स, तल्ला नागल, कुलान, देहरादून बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयक के प्रकरण पर मै0 अरबोरिया लग्जरी होम्स रेजिडेंसियल वेलफेयर सोसाइटी अरबोरिया लग्जरी होम्स, तरला नागल, कुल्हान, देहरादून का निरीक्षण दिनांक 19.11.2019 को वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधि श्रीमती नमीता शर्मा एवं श्री सुभाष कुमार, सोसाइटी मैनेजर की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। सोसाइटी प्रतिनिधि के अनुसार वर्ष 2013 से संचालित है, जिसमें 96–फ्लैटस् बने हैं, जिसमें से लगभग सभी संचालित हैं। घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु 60 KLD क्षमता का घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण (STP) स्थापित है, जो कि निरीक्षण के समय संचालन में पाया गया। सोसाइटी में भू–जल की आपूर्ति हेतु 02–नलकूप स्थापित है, जिसकी क्षमता कमशः 7.5 HP व 5.0 HP है, के माध्यम से जलापूर्ि कर रही है, जिस हेतु CGWA से अनुमति प्राप्त नहीं है। इस प्रकरण पर पूर्व में भी शिकायतकर्ता श्री ब्रिगेडियर एस0डी0 डंगवाल, निवासी ई–102, अरबोरिया लग्जरी होम्स, तरला नागल, कुल्हान के द्वारा शिकायती पत्र न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून में वाद संख्या–01/2019 दायर की गई है, प्रकरण वर्तमान में गतिमान है। **(संलग्नक–1)** सोसाइटी में 250 एवं 380 के0वी0ए0 के दो DG Set स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त सोसाइटी को वर्तमान तक राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति अप्राप्त है।

प्रकरण पर पूर्व में दिनांक 03.04.2017 को इस कार्यालय के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसकी आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई। **(संलग्नक–2)** जिसके उपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–यू.ई.पी.पी.सी.बी./एच.ओ./कॉन–ए–232/2017/334 दिनांक 30.05.2017 के द्वारा सोसाइटी को जल, वायु अधिनियमों के तहत बन्दीकरण आदेश निर्गत हुआ। **(संलग्नक–3)** तदोपरान्त हाउसिंग सोसाइटी संचालन में होने के उपरान्त बन्दी आदेशों की तामील नहीं की जा सकी, जिस पर बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–यू.ई.पी.पी.सी.बी./एच.ओ./सहमति/ए–232/2018/1420 दिनांक 29.10.2018 के द्वारा M/s Arboria Luxury Homes Residential Welfare Society के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु आदेश प्राप्त हुए हैं, **(संलग्नक–5)** जिस कम में बोर्ड के विधि सलाहकार श्री एस0के0 गुप्ता को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धाराओं के तहत Designated Court में वाद दायर करने हेतु प्रेषित नोट शीट (1) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित। **(संलग्नक–5)**

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(रविन्द्र पुण्डीर)
वैज्ञा0 सहायक

(राकेश कण्डारी)
सहा0पर्या0अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) देहरादून।

वाद संख्या 01 / 2019

थाना–रायपुर
धारा–कुमाऊं एवं गढ़वाल [illegible]
(कलेक्शन [illegible])

उत्तराखण्ड सरकार
बनाम
प्रबन्धक, अरबोरिया लक्सरी, सोसायटी, तरला नागल, कुल्हान देहरादून

नोटिस अन्तर्गत धारा 10(1)

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता कार्यालय अधिशासी [illegible] उत्तराखण्ड जल संस्थान, 130 प्रकाश विहार बाई पास रोड, देहरादून द्वारा [illegible] मुख्यमंत्री हैल्पलाईन / 2019–20 दिनांक 18.4.2019 एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) [illegible] पत्रांक 97 / वैय0अधि0 / 2019 दिनाक 18.04.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि [illegible] अरबोरिया लक्सरी, सोसायटी, तरला नागल, कुल्हान, देहरादून द्वारा [illegible] डंगवाल निवासी–ई–102, आरबोरिया लक्सरी होम्स, तरला नागल, कुल्हान देहरादून के प्रार्थना पत्र [illegible] छायाप्रति दिनांक 03.04.2019 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान, 130 प्रकाश विहार बाई पास रोड [illegible] स्थलीय निरीक्षण अनुसार उक्त सोसायटी अपने स्वयं के संसाधनो से जलापूर्ति कर रही है [illegible] अनुमति भूजल का दोहन कर रही है।

उपरोक्त प्रकराण में सुनवाई / साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने अथवा अपना पक्ष रखा जाने [illegible] 29.04.2019 की तिथि इस न्यायालय में नियत की गयी है। अतः आपको इस सूचना पत्र के [illegible] सूचित किया जाता है कि आप इस न्यायालय में स्वय या अधिवक्ता के माध्यम से [illegible] 2019 को उपस्थित रहे। तामिल होने के पश्चात यदि कोई पक्ष उपस्थित [illegible] जायेगा कि आपको उक्त वाद में कुछ नही कहना है। और वाद में [illegible] अमल में लायी जायेगी।

दिनांक 20.04.2019

उप जिला मजिस्ट्रेट [illegible]
देहरादून

तहसीलदार देहरादून उक्त नोटिस की तामिली नियत तिथि से पूर्व [illegible] नोटिस की एक प्रति इस न्यायालय को वापस की जाय।

Scanned by CamScanner